उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–1
संख्याः 592 /XI(1)/17/53(77)15
देहरादूनः दिनांकः 23 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर 2017

कार्यालय–आदेश

आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी के माध्यम से शासन को अवगत कराया गया कि श्रीमती अनीता बिष्ट, खण्ड विकास अधिकारी जो कि सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त हैं, दिनांक 21.01.2008 से अनुपस्थित चल रही हैं। फलतः उनके सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्यवाही करते हुए निर्णयोपरान्त उन्हें अवगत कराया जाय।

2– प्रकरण की संक्षिप्त पृष्ठभूमि इस प्रकार है। श्रीमती अनीता बिष्ट द्वारा खण्ड विकास अधिकारी के पद पर दिनांक 30.07.2005 को विभाग में योगदान दिया गया तथा इनकी प्रथम नियुक्ति विकासखण्ड स्यालदे, जनपद अल्मोड़ा में हुई। श्रीमती बिष्ट दिनांक 21.01.2008 से अवकाश पर चल रही थी, शासन के कार्यालय आदेश संख्या–545/XI/ग्रा0वि0 दिनांक 02.03.2009 द्वारा श्रीमती बिष्ट का स्थानान्तरण जनपद अल्मोड़ा से जनपद पौड़ी में किया गया, स्थानान्तरण के फलस्वरूप उन्हें कार्यमुक्त किया गया, परन्तु श्रीमती बिष्ट बिना किसी औपचारिक अवकाश के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहीं। श्रीमती बिष्ट द्वारा दिनांक 12.11.2011 को मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी के समक्ष अपनी उपस्थिति दी गयी, परन्तु अनाधिकृत अनुपस्थिति के सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उनका योगदान स्वीकार नहीं किया गया। श्रीमती अनीता बिष्ट दिनांक 21.01.2008 से अवकाश के उपरान्त् अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रही हैं। निरन्तर सेवा में न होने से उनकी सेवाएं तीन वर्ष भी पूर्ण न होने के कारण विभाग द्वारा स्थायी नहीं किया गया है। वर्तमान में उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि लगभग 09 वर्ष से अधिक हो चुकी है।

3– शासन द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–1162/XXX(2)/2005 दिनांक 07 मई, 2005 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अनुसार उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित करते हुए शासन के पत्र संख्या–1647–I/XI/13/51(15)2012 दिनांक 28.05.2013 के द्वारा जिला विकास अधिकारी, पौड़ी के माध्यम से दिनांक 21.06.2013 को श्रीमती बिष्ट के कार्यालय अभिलेखों में अंकित आवासीय पते पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया। शासन के निर्देशानुसार जिला विकास अधिकारी, पौड़ी द्वारा श्रीमती अनीता बिष्ट के बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहने के कारण अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए दैनिक समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित किया गया। परन्तु समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित होने के पश्चात भी श्रीमती बिष्ट द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर अपने पक्ष में कोई भी प्रतिउत्तर शासन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। शासन के पत्र संख्या–2524/XI/16/53(77)2015 दिनांक 06 अप्रैल, 2016 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के माध्यम से 30 दिन के अन्दर अपने पक्ष में लिखित में उत्तर देने हेतु श्रीमती बिष्ट को अन्तिम नोटिस दिया गया किन्तु उक्त नोटिस का भी उत्तर श्रीमती बिष्ट द्वारा शासन के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया।

4– अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी व्यवस्था के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्रीमती अनीता बिष्ट, खण्ड

विकास अधिकारी को उनकी लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के फलस्वरूप उत्तरांचल सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली–2003 के प्रस्तर–3 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत **सेवा से हटाना जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नहीं करता हो** सम्बन्धी बृहद दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त दण्ड दिये जाने पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की सहमति भी प्राप्त की गयी जो उनके पत्र संख्या–239/15/ई0–1/ए0डी0सी0/2017–18 दिनांक 31 अगस्त, 2017 के माध्यम से प्राप्त हुयी।

अतः सुसंगत शासनादेश एवं उपरोक्तानुसार उल्लिखित तथ्यों के आलोक में उत्तरांचल सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली–2003 के प्रस्तर–3 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत श्रीमती अनीता बिष्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप एतदद्वारा तात्कालिक प्रभाव से उन्हें खण्ड विकास अधिकारी पद की सेवा से हटाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्याः 592 /XI(1)/17/53(77)15 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल को महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मा0 विभागीय मंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मा0 विभागीय मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उक्त की एक अतिरिक्त प्रति श्रीमती अनीता बिष्ट की व्यक्तिगत पत्रावली में सुरक्षित रखने एवं अन्य अपेक्षित कार्यवाही करने की अपेक्षा सहित।
7. समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या–239/15/ई0–1/ए0डी0सी0/2017–18 दिनांक 31 अगस्त, 2013 के क्रम में।
9. निदेशक, पेंशन एवं लेखा हकदारी, उत्तराखण्ड, लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/पौड़ी गढ़वाल।
12. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
13. श्रीमती अनीता बिष्ट, फ्लैट नं0–24, नवल अपार्टमेन्ट, प्लाट नं0–14, वसुन्धरा इन्क्लेव, नई दिल्ली–96।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव